न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी–श्री बाल मुकुन्द असावा, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 42 / 2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2023 / 67

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नावां जिला डीडवाना–कुचामन।		1. ओमप्रकाश पुत्र डुंगाराम जाति रेगर निवासी रेगरों का मौहल्ला मीठड़ी तहसील नावां जिला डीडवाना–कुचामन। 2. गीता पत्नी ओमप्रकाश जाति रेगर निवासी रेगरों का मौहल्ला मीठड़ी तहसील नावां जिला डीडवाना–कुचामन।

दावा अन्तर्गत भु–राजस्व अधिनियम के तहत बने नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970

उपस्थितः–

1. प्रार्थी की ओर से श्री रामरतन रेगर नायब तहसीलदार नावां
2. अप्रार्थी की ओर से वकील श्री मो. शरीफ शेरानी

आदेश दिनांकः 07.05.2024

प्रार्थी तहसीलदार नावां ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) के तहत पेश कर निवेदन किया किः–

1. मौजा ग्राम मीठड़ी के साबिक खसरा नम्बर 1108 रकबा 0.50 हैक्टर भूमि अप्रार्थी ओमप्रकाश पुत्र डुंगाराम जाति रेगर, गीता पत्नी ओमप्रकाश जाति रेगर निवासी मीठड़ी को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि उपखण्ड अधिकारी नावां के आदेश क्रमांक / राजस्व / 02 / 87–89 व दिनांक 27.06.2002 के द्वारा आवंटन की जाकर अप्रार्थी ओमप्रकाश पुत्र डुंगाराम जाति रेगर, गीता पत्नी ओमप्रकाश जाति रेगर निवास मीठड़ी को राजस्व रिकार्ड में गैर–खातेदार दर्ज किया गया था। अप्रार्थी ओमप्रकाश पुत्र डुंगाराम जाति रेगर, गीता पत्नी ओप्रकाश जाति रेगर निवासी मीठडी को ना. सं. 597 दिनांक 14.08.2003 के द्वारा गैर खातेदार दर्ज किया गया था। जिसमें ओमप्रकाश [illegible] जाति रेगर, गीता पत्नी ओमप्रकाश जाति रेगर निवासी मीठडी [illegible] दि[illegible]क गैर खातेदार चले आ रहे है।
2. अप्रार्थी को उक्त भूमि आदेश [illegible] तथा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम [illegible] के अनुसार अप्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.05.10 17:18:35 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन 7/5/24

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

द्वारा प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भु–भाग को व द्वितीय वर्ष शेष 50 प्रतिशत भु–भाग को जोतना आवश्यक था और अप्रार्थी ने उक्त नियम 14(3) की शर्त की पालना नहीं की है, जो खसरा गिरदवारी संवत् 2062 से 2077 तक की नकलों से सुस्पष्ट है।

3. अप्रार्थी का उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं है तथा मौके पर भूमि बंजर है। जिस पर काश्त करना मुमकिन नहीं है जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट है।
4. अप्रार्थी का विवरण जो इस प्रार्थना–पत्र में दिया गया है वह सभी जीवीत एवं व्यस्क पता जो अंकित किया गया है उसी पर अप्रार्थी निवास कर रहे है। उक्त सम्बन्ध में पटवारी हल्का का प्रमाण पत्र सलंग्न है।
5. अप्रार्थी ने कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन नियम 1970 के नियम 14(3) की पालना नहीं की है।

अतः खतौनी नकल, नामान्तरकरण, सम्पूर्ण गिरदावरी की प्रमाणित नकले व उपर्युक्तानुसार पटवारी की मौका रिपोर्ट व पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र सलंग्ल कर निवेदन है कि अप्रार्थी को किये गये अवंटन दिनांक 27.06.2002 को निरस्त करने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थीण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की तरफ से वकील श्री शरीफ शेरानी ने वकालतनामा पेश किया अप्रार्थी की ओर से वकील श्री शरीफ शेरानी ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि:–

1. प्रार्थना–पत्र के पैरा सं0 2 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है कि अप्रार्थी को उक्त भूमि आदेश दिनांक 27.06.2002 से आवंटित हुई थी तथा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) के अनुसार अप्रार्थी द्वारा प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भू–भाग को व द्वितीय वर्ष शेष 50 प्रतिशत भू–भाग को जोतना आवश्यक था, जो जोता गया है तथा अप्रार्थी ने उक्त नियम 14(3) की शर्तों की पालना बराबर की गई है। पटवारी वगैराह बिना मौके पर जाकर ही अपने मन से गिरदावरी करते है, जो चलने योग्य नहीं है।
2. प्रार्थना–पत्र के पैरा सं0 3 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी का आज भी उक्त भूमि पर कब्जा निरन्तर चला आ रहा है, लास्ट की सालों में 1–2 साल काश्त नहीं करने से भूमि बंजर लग रही है। दो साल काश्त नहीं करने से अप्रार्थी के अधिकार समाप्त नहीं होते है।
3. प्रार्थना–पत्र के पैरा सं0 4 में अप्रार्थी जीवित व [illegible] पता जो अंकित किया गया है, उसी पर निवास कर रहे है, सही है।

<u>:–विशेष कथन–:</u>

1. यह है कि एक बार खातेदारी प्राप्त होने के बाद खातेदारी अधिकारों को नियम 14(4) के अन्तर्गत निरस्त नहीं किया जा सकता। किसी की खातेदारी की भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.05.10 17:18:35 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन
सत्यमेव जयते

7/5/24
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

को काश्त नहीं करने व लगान अदा नहीं करने के आधार पर खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं किये जा सकते। आवंटित भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि अप्रार्थीगण के पास नहीं है। अप्रार्थीगण आवंटन के समय भूमिहिन काश्तकार थे।

2. आवंटन के 10 साल के भीतर ही न्यायलय द्वारा आवंटन रदद् किया जा सकता था, नियम 14(4) के समय सीमा लागु होती है। आवंटन के 20 साल बाद आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता है। कानून की यह कभी भी मंशा नहीं रही है कि अनिश्चित काल तक आवंटन को निरस्त किया जा सकता है। अप्रार्थीगण द्वारा कपट से अथवा मिथ्या व्यपदेशन से आवंटन नहीं करवाया था, आवंटन सम्पूर्ण कानून विहित प्रक्रिया अपना कर किया गया था। अप्रार्थी पर ऐसा कोई आरोप भी नहीं है कि आवंटन कपट पूर्वक व मिथ्या पूर्ण तथ्यों के आधार पर आवंटित कराया गया हो तथा निरस्त कराने पर विचार किया जा सकता है।

अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र मय कोष्ट खारिज फरमाया जावें।

बहस के तर्को पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड के आधार पर आराजी नं0 1108 रकबा 0.5000 हैक्टर अप्रार्थी ओमप्रकाश पुत्र डुंगाराम व गीतादेवी पत्नी ओमप्रकाश को राज0 कृषि भूमि आंवटन नियम 1970 के तहत कृषि कार्य हेतु भूमि आंवटित की गई थी।

जमाबंदी ग्राम मीठडी सम्वत् 2074–77 अनुसार खसरा नम्बर 1108 रकबा 0.5000 हैक्टयर किस्म जमीन बा.3 अप्रार्थी ओमप्रकाश पुत्र डुंगाराम व गीतादेवी पत्नी ओमप्रकाश हिस्सा 1/2 सा0 देह के नाम बतौर गैर खातेदार दर्ज है।

पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम मीठडी के खसरा सं0 1108 रकबा 0.5000 हैक्टयर किस्म बारानी–3 गैर खातेदार ओमप्रकाश पुत्र डुंगाराम व गीतादेवी पत्नी ओमप्रकाश हिस्सा 1/2 आज दिनांक तक काबिज नहीं है। मौके पर यह भूमि बंजर है। गैर खातेदार ने आज तक मौके पर कब्जा नहीं किया है।

हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी सं. 2062–77 एवं मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार आवंटी/अप्रार्थी द्वारा आवंटन की शर्तोनुसार मौके पर कब्जा काश्त नहीं किया गया है।

अप्रार्थी का आराजी भूमि पर कभी कब्जा काश्त रहा हो ऐसा कोई दस्तावेजी आधार/नकल गिरदावरी प्रस्तुत नहीं की गई [illegible] भी उक्त भूमि पर अप्रार्थी का कभी भी कब्जा काश्त नहीं होने के तथ्य की [illegible] हो [illegible]।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने विशेष कथन के रूप में यह तर्क दिया कि खातेदारी अधिकार प्राप्त हो के पश्चात इन अधिकारों को नियम 14(4) के तहत समाप्त नहीं किया जा सकता एवं साथ ही यह भी तर्क दि[illegible] कि नियम 14(4) के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.05.10 17:18:35 IST
Reason: SelfAttested

7/5/24
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

तहत आंवटन 10 साल तक ही खारीज किया जा सकता है। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा अपने उक्त दोनों कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत RRT 2011(2)DNJ Raj-1 709, RRT 2008(1) RRT 610 प्रस्तुत किये। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अन्य कोई नियम प्रस्तुत नहीं किया।

राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (एलोटमेन्ट लैण्ड) 1970 के नियम 04 के तहत स्पष्ट प्रावधान है कि आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं करने पर जिला कलक्टर द्वारा आवंटन को किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है। उक्त नियमों के नियम 14(3) के तहत स्पष्ट प्रावधान है कि आंवटी को भूमि पर काश्त करनी होगी। उक्त नियमों के नियम 14(8)A के तहत भी यदि भूमि को निर्धारित अवधि में काश्त नहीं किया जाता है तो राज्य सरकार में पुनः पुर्नगठित करने के प्रावधान है।

अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा खातेदारी अधिकार मिलने के पश्चात नियम 14(4) के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकने का तर्क दिया है परन्तु प्रश्नगत प्रकरण में अप्रार्थी का स्टेट्स गैर खातेदारी अधिकार का ही है।

अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दानों न्यायिक दृष्टांत में प्रथम नियमन को चुनोती देने से संबंधित है एवं द्वितीय में काश्त किये जाने बाबत 02 वर्ष अवधि की गणना किस प्रकार की जावेगी इससे संबंधित है। दोनों दृष्टांत इस पर लागु नहीं होते है। क्योंकि आंवटन के 22 वर्ष पश्चात भी आंवटित भूमि पर न तो अप्रार्थी द्वारा काश्त की गई न ही अप्रार्थी का कब्जा है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के उप नियम 14(4) के तहत अप्रार्थी ओमप्रकाश पुत्र डुंगाराम व गीतादेवी पत्नी ओमप्रकाश हिस्सा 1/2 को किया गया आवंटन निरस्त करने बाबत प्रार्थी तहसीलदार नावां द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। मौजा मीठडी के खसरा नम्बर 1108 रकबा 0.5000 हैक्टयर पर आवंटी/अप्रार्थी की दर्ज गैर खातेदारी/आवंटन को निरस्त किया जाकर उक्त भूमि पुनः राजकीय सिवाय चक दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार, नावां को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित की जावे।

आदेश सरे इजलास आज दिनांक 07.05.2024 को सुनाया गया।

(बाल मुकुन्द असावा, IAS)
जिला कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना-कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.05.10 17:18:35 IST
Reason: SelfAttested